Ref: 666/O-89/23

Date: 19/06/23



To,

**The Registrar,**
**National Green Tribunal**
**Principal Bench,**
**New Delhi.**

Subject:- **A report in compliance of order dated 15.05.2023 in Original Application No. 486/2022 and Execution Application No.-14/2023 "Kiranpal Singh Versus U.P. Pollution Control Board".**

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-

**"Grievance in this Execution Application is that inspite of order of this Tribunal dated-13.07.2022 requiring the State PCB and District Magistrate, Mathura to look into the allegation of illegal operation of brick kiln by Pari Eent Udyog, Village-Ainch, District-Mathura, U.P., no action has been taken in terms of the said order.**

**In view of above, let factual status report in the matter be submitted by State PCB and District Magistrate, Mathura to the Registrar General of this Tribunal within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. If found necessary, the Registrar General may place the matter before the Bench for further directions.**

**Subject to above, the application is diposed of.**

In the compliance of above directions an inspection of the mentioned Brick Kilns in the order of Hon'ble Tribunal, was carried out by a joint inspection team comprising of the officials from the offices of District Magistrate, Mathura & U.P. Pollution Control Board, Mathura inspected the Brick Kilns mentioned in the order on dated 14.06.2023.

Accordingly a report is being submitted along with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

19/06/2023

Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Mathura

CC-

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. District Magistrate, Mathura.

/
Regional Officer

**Report regarding Hon'ble NGT Dated 15-05-2023 in OA No. 486/2022.**

Pursuant to the direction given by Hon'ble NGT in the order passed on dated 15.05.2023 in Execution Application No.-14/2023 IN Original Application No. 486/2022. The main relevant contents of the order are as under :-

"Grievance in this Execution Application is that inspite of order of this Tribunal dated-13.07.2022 requiring the State PCB and District Magistrate, Mathura to look into the allegation of illegal operation of brick kiln by Pari Eent Udyog, Village-Ainch, District-Mathura, U.P., no action has been taken in terms of the said order.

In view of above, let factual status report in the matter be submitted by State PCB and District Magistrate, Mathura to the Registrar General of this Tribunal within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. If found necessary, the Registrar General may place the matter before the Bench for further directions.

Subject to above, the application is diposed of.

A copy of this order be forwarded to the State PCB and District Magistrate, Mathura by e-mail for compliance."

In compliance of the above order, the following officials from the offices of District Magistrate, Mathura and UP Pollution Control Board, Mathura inspected the site mentioned in the order on dated 15.05.2023.

1. **Mr. Niket Verma** - **Deputy Collector, Mathura**
2. **Kunwar Santosh Kumar** - **AEE, UP Pollution Control Board, Mathura.**

A joint inspection of site was carried out on dated 14.06.2023.The details are as under:-

1. As per Office records, the referenced brick kiln is established in the name of M/s Pari Bricks Udhyog, located at Khata no.-206, Khasra No. 50, Village-Ainch, Tehsil-Chhata, District-Mathura. At the time of inspection the brick kiln was found in operational.
2. At the time of inspection physical verification of four dimension of the brick kiln was done, which are as follows-
   i) The main population of village Ainch is situated at a distance of about 600 meters to the South of the Brick kiln.
   ii) Community Health Center, as is situated at a distance of about 630 from said brick kiln.

(AEE) RO

iii) There is a open agriculture land in the East, North &West direction.

3. The Geo-Coordinates of the Brick Kiln are Latitude-27.9301351& Longitude-77.4856948.

4. As per the Office record , the said Brick kiln has obtained CTE from RO UPPCB Mathura vide letter No. 118874/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021, Dated-27.01.2021, which was not found in accordance with the guidelines for sitting criteria of Uttar Pradesh Kiln(Site Criteria for Establishment)Rules-2012 is Annexed as annexure-1. In continuation, the closure order has been issued to M/S Pari Bricks Udhyog, khata no-206, khasra no-50,Village-Ainch,Tehsil-Chhata, District-Mathura is Annexed as annexure-2

5. The aforesaid Brick Kiln was closed down by the joint team by pouring water on it and sealed Id fan at the time inspection is Annexed as annexure-3 and report has been sent to Board Headquarter Lucknow regarding the imposition of Environment compensation and legal action against the aforesaid Brick kiln is Annexed as annexure -4.

6. Photographs taken at the time of inspection of brick kiln.

A report is being submitted for kind perusal and further action in this regard.

15/06/2023

**Kunwar Santosh Kumar**
**AEE, UP Pollution Control Board,**
**Mathura**

15/06/2023

**Dr. Yogender Kumar**
**RO, UP Pollution Control Board,**
**Mathura**

15/06/23

**Mr. Niket Verma**
**Deputy Collector,**
**Mathura**

क्रम-सं०-120

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 जून, 2012

आषाढ़ 6, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग

संख्या 921/55-पर्या/12-94(पर्या)-11

लखनऊ, 27 जून, 2012

### अधिसूचना

सा0प0नि0-20

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के ख़ण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईंट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

### उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईंट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:- — आवासीय क्षेत्र/जनसंख्या/संवेदनशील क्षेत्र/आम अथवा फलदार बागों से दूरी

(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नही किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100-150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हो, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

(दो) कोई ईट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहा ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र के मामले में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे–

(तीन) कोई ईट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पाँच) कोई ईट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छः) कोई ईट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के बफर जोन में कोई भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईट भट्ठा से दूरियां प्रत्येक दशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

**ईट भट्ठा की स्थापना हेतु अनुमति**

3–ईट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

**उत्सर्जन मानक**

4–भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम0ओ0ई0एफ) द्वारा ईट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस0 आर0 543 (ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।

**ईट भट्ठे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां**

5–इस नियमावली के अधीन स्थापित ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:–

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में;

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे–पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईटों की पथाई में फ्लाई एश;

परन्तु स्पेण्ट आर्गनिक, साल्वेंट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेस

ईंट भट्ठे स्वत्वधारी के कर्त्तव्य

6–(1) ईंट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईंट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड है।

(2) तड़ित हमले के कारण भट्ठे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार तड़ित अवरोधक ईंट भट्ठा के लिए स्थापित किया जायेगा।

(3) ईंट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख–रखाव प्रक्रिया जिसमें, कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईंटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईंटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खड़ी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

ईंट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

7–कोई व्यक्ति जो कि ईट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहि:स्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है:

परन्तु यह कि, कोई ईट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 921/55-पर्या/12–94 (पर्या)-11, dated June 27, 2012:

No. 921/55-पर्या/12–94 (पर्या)-2011
Dated Lucknow, June 27, 2012

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 54 *read* with clause (z) of sub-section (2) of the said section and sub-section (1) of section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)

Annexure-2

38

101/125

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या : 1473577 /सी–4/ईंट–890/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 25-07-2022

मै० पवी ईंट उद्योग,
खसरा सं०–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता,
जनपद–मथुरा।

मै० पवी ईंट उद्योग, खसरा सं०–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 16.03.2022 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–93/2021 मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2021 के अनुपालन में किया गया। ईंट भट्ठा उक्त ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 लागू होने के बाद अप्रैल 2020 में स्थापित व संचालित है। उद्योग स्थल व ग्राम–ऐंच के मध्य की दूरी लगभग 620 मी० है, जो 2012 की नियमावली के विरुद्ध है तथा ईंट भट्ठे के चारों ओर 10 मीटर चौड़ी पट्टिका अथवा 3.0 मीटर ऊँची दीवार (प्रवेश व निकास को छोड़कर) बनाई नहीं गयी है। मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पक्की/मेटालिक रोड की स्थापना नहीं की गयी है। ईंट भट्ठे से होने वाले वायु गैस उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप सीढ़ी, प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की व्यवस्था नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा के पत्र सं०–1427/एन०जी०टी०–3070/2022 दिनांक 28.03.2022 द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईंट भट्ठा मै० पवी ईंट उद्योग, खसरा सं०–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मै० पवी ईंट उद्योग, खसरा सं०–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै० पवी ईंट उद्योग, खसरा सं०–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मथुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे के की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा सम्पादित ईंट-पथाई एवं फुकाई कार्य को तत्काल रुकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

प्रभारी, वृत्त–4

# आख्या

जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के पत्रांक–1800 / ओ–72 / 223 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक 29-3-2022 द्वारा मै0 पुरी ईंट उद्योग, खसरा सं0-50 ग्राम टेंच, तहसील - छाता, मथुरा को जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 14-6-2023 बन्दी आदेश की प्रति ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को हस्तगत कराकर ईंट भट्ठे में पानी डालकर आग बुझा दिया गया व भट्ठे का संचालन बन्द कर दिया गया तथा ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के ईंट भट्ठे का संचालन न किया जाये तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी / उनके प्रतिनिधि से अपेक्षा की गयी कि वर्णित ईंट भट्ठे का संचालन अग्रिम आदेशों तक न होने पाये।

Shailesh 14-6-23
(शैलेश मौर्य)
सहा0 सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मथुरा

चन्द्रकिशोरगौतम
(चन्द्र किशोर गौतम)
ड्राइवर, फायर स्टेशन
कोसीकलाँ, मथुरा

Kumar 14/6/23
(प्रदीप कुमार)
एस0आई0
शेरगढ़ चौकी,
मथुरा

Santosh 14/06/2023
(कुँवर सन्तोष कुशवाह)
सहा0 पर्या0 अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मथुरा

मैनेजर
नाम रामचन्द्र
पार्टनर

Office Order.E

वेब साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
## Regional Office, U.P. Pollution Control Board
## भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 653/0-89/2023 दिनांक 15/06/23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

**विषयः मै0 परी ईंट उद्योग, खसरा सं0–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित एवं विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ईंट भट्ठे का औचक निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.06.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त संदर्भित ईंट भट्ठा संचालित पाया गया, जबकि उक्त ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 73537/सी–4/ईंट–890/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उक्त बन्दी आदेश के प्रभावी होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे को संचालित किये जाने के कारण दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक कुल 68 दिनों को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x0.5x1.0=12500/- प्रतिदिन की दर से 68 दिवस हेतु कुल रू0–12500x68 =8,50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

15/06/2023
(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मथुरा।
3. उपजिलाधिकारी, तहसील–छाता., जनपद–मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

(AEE)

**मै0 परी ईंट उद्योग, खसरा सं0–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः–**

उपरोक्त सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–486/2022 एवं Execution Application No- 14/2023 किरनपाल सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 14.06.2023 को अधोहस्ताक्षरीकर्ता द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त सन्दर्भित ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री नेमचन्द, पार्टनर उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठा दिनांक 08.04.2023 से संचालित है। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. सन्दर्भित ईंट भट्ठा खसरा सं0–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, मथुरा पर स्थापित है, जिसके अक्षांश–27.930034., देशान्तर–77.485764 है।
2. ईंट भट्ठे द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग करके ईंट का उत्पादन–20000 प्रति/दिन किया जाता है।
3. ईंट भट्ठे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ के अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया में ईंट के निर्माण/पथाई हेतु किया जाता है।
4. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी/लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ईंधन की दैनिक खपत ईंट भट्ठे प्रतिनिधि द्वारा लगभग 3.0 टन/दिन बतायी गयी। ईंधन के जलने से जनित उत्सर्जन को भू–तल से लगभग 110 फीट ऊँची चिमनी की व्यवस्था स्थापित है।
5. सन्दर्भित ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 73537/सी–4/ईंट–890/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठे की फायरिंग को जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा नामित सदस्य एवं अग्नि शमन विभाग, मथुरा द्वारा पानी डलवाकर फुकाई का कार्य बन्द कराते हुऐ ईट भटठे में स्थापित आई0डी0 फैन को सील कर बन्द किया गया तथा ईंट भट्ठा स्वामी को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किया जाये।
6. सन्दर्भित ईंट भट्ठे का प्रकरण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–486/2022 एवं Execution Application No- 14/2023 किरनपाल सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस शर्त के साथ निस्तारित किया जाता है कि सन्दर्भित ईट भटठे के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
7. उक्त ईंट भट्ठे द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–93/2021 मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x0.5x1.0=12500/- प्रतिदिन की दर से दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक कुल 68 दिवस हेतु कुल रू0–12500x68 =8,50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

15-6-23
(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक

15/06/23
(कुँवर सन्तोष कुमार)
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

15/06/2023